संख्या:- 59/2017/1753/33-3-2017-110/2012

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

4- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 अगस्त, 2017

विषय:-स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश एवं शीर्ष समितियों में आंशिक संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:-195/33-3-2015-110/2012 दिनांक 06 फरवरी, 2015 तथा संख्या:-648/33-3-2015-110/2012 दिनांक 04 मार्च, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिनके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश एवं शीर्ष समितियों का गठन किया गया है।

2- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "उ0प्र0 स्टेट सेनीटेशन मिशन की शीर्ष समिति" की बैठक दिनांक 17.07.2017 मे लिये गये निर्णयों के फलस्वरूप मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2015 एवं 04 मार्च, 2016 में उल्लिखित 02 प्रस्तरों में निम्नवत संशोधन किए जाते है :-

(I)प्रस्तर-12.3 : पूर्व में गठित शीर्ष समिति को संशोधित करते हुए निम्नवत पुनर्गठित किया जाता है, यह समिति वर्ष में कम से कम 02 बैठकें करेगी।

क्र.	पदनाम	शीर्ष समिति में स्तर
1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in

4	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, स्वास्थ एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, सूचना, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12	स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो जिलाधिकारी एवं दो मुख्य विकास अधिकारी जो वर्तमान समय में अन्यत्र कहीं भी तैनात हो सकते है।	सदस्य
13	स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रही अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	विशेष आमंत्री

(II)प्रस्तर-14.2 : जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैंनेजमेन्ट कमेटी

जनपद स्तर पर पूर्व में गठित जिला स्वच्छता समिति अब जिला स्वच्छ भारत मिशन मैंनेजमेन्ट कमेटी कहलायेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रति माह बैठक करेगी। इस समिति का कार्य जिला स्तर पर अन्य लाइन विभागों के साथ तालमेल तथा जिले में स्वच्छ भारत मिशन की परियोजना को कार्यान्वयन करना होगा। यह समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। जनपद स्तर पर होने वाली समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैंनेजमेन्ट कमेटी के अनुमोदन से किया जायेगा, जिसमें जनपद स्तर पर खाते का संचालन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति अथवा उनके द्वारा अधिकृत मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति एवं जिला पंचायत राज अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का मानदेय, यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यालय मद, वाहन किराया, पी0ओ0एल0 का अनुमोदन समिति से लेने के उपरान्त इनका भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी के एकल बैंक खाता द्वारा किया जायेगा।

क्र0	पदनाम	जिला समिति में स्तर
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष

http://shasnadeshup.nic.in

2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	कोषाधिकारी	सदस्य
4	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
6	परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0	सदस्य
7	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
8	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
9	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
10	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
11	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
12	जिला पंचायत सदस्य (एक)	सदस्य
13	ब्लाक प्रमुख (दो)	सदस्य
14	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन)	सदस्य

अत: स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 06 फरवरी, 2015 एवं 04 मार्च, 2016 द्वारा निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। तद्नुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली।

2- संयुक्त सचिव, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पर्यावरण भवन, 12वां तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

3- निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पर्यावरण भवन, 12वां तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

http://shasnadeshup.nic.in

4- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

6- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

7- अपर मुख्य सचिव/प्रमख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, वित्त, स्वास्थ, बेसिक शिक्षा, सूचना, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।

9- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

10- महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0।

11- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।

12- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।

13- निदेशक, प्रिट, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

14- समस्त सदस्य, शीर्ष समिति स्टेट सैनिटेशन मिशन, उ0प्र0।

15- समस्त सदस्य, कार्यकारी समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन, उ0प्र0।

16- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

17- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उ0प्र0।

18- समस्त सदस्य, जिला स्वच्छता समिति, उ0प्र0।

19- समस्त प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, उ0प्र0।

20- निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।

21- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2

22- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in